आदोजनागत /जिला योजना

संख्याः 860 /XI/04/56(7)/2003

प्रेषक,

पी0 एस0 जंगपांगी
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौड़ी

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 29 सितम्बर, 2004

विषयः समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आई0डब्लू0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद चमोली को वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु आबंटित केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि का आबंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1697 दिनांक 14-09-2004 तथा शासनादेश संख्या 755 /XI/04/56(7)/2003 दिनांक 24/08/2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या के-11011/60/2000-आई.डबलू.डी.पी.(डी.-II)/कमांक 133-2004-05 दिनांक 25-8-2004 के द्वारा जनपद चमोली को स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष जनपद चमोली को राज्यांश की धनराशि रूपये 7,70,000-00 (रूपये सात लाख सत्तर हजार मात्र) श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अंतर्गत आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उक्त धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने एवं स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

3- उक्त धनराशि का आबंटन वर्तमान नियमों / आदेशों तथा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा । धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय में भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय- समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/ गाइडलाईन्स केअनुसार योजना के अंतर्गत किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से भारत सरकार / राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाय । धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा ।

5. उक्त धनराशि का व्यय अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु उपयोग राज्य में इन जातियों हेतु लागू आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा ।

क्रमश.....2.....पर /

6- उक्त पैरा 2 से 5 तक में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात नियंत्रक / मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे । यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय ।

7. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- आयोजनागत-01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम- 800- अन्य व्यय -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-इन्ट्रीग्रेटेट वैस्टलैण्ड डवलैपमेंट, अन्य जलागम योजनायें (90 प्रतिशत के0स0)-20-सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता की सुसंगत इंकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

8. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 460/वित्त अनुभाग-2/2003 दिनांक 27 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(पी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव

संख्याः 860 /XI/04/56(7)/2003 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उत्तरांचल सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, गोपेश्वर ।
3- अनु सचिव, डिपार्टमेन्ट आफ लैण्ड रिर्सोस,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एन.बी.ओ.बिल्डिंग, निर्माण भवन नई दिल्ली
4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल ।
5. सचिव,वन एव जलागम प्रबन्धन उत्तरांचल शासन ।
6- निदेशक,जलागम प्रबन्धन उत्तरांचल देहरादून ।
7- जिलाधिकारी, चमोली ।
8- मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चमोली ।
9- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, 23- लक्ष्मी रोड देहरादून ।
10- निदेशक , राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल ।
11- निजी सचिव- मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ
12- वित्त अनुभाग- दो, उत्तरांचल शासन
13- नियोजन विभाग उत्तरांचल शासन ।
14- गार्ड फाईल

आज्ञा से

(पी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव

290904004.pdf